अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रंमाक/अविप्रा/सचिव/2021/494-518 दिनांक 8/9/21

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.09.2021 को 12:00 बजे श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा., अजमेर सदस्य सचिव
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, अति. जिला कलक्टर शहर , अजमेर
3. श्री सीताराम प्रजापत, अति.पुलिस अधिक्षक, अजमेर
4. श्री हजारीराम सिरवी, निदेशक विधि, अ.वि.प्रा., अजमेर
5. श्री राजकिशोर मीणा, निदेशक वित, अ.वि.प्रा., अजमेर
6. श्री पुनीत शर्मा, निदेशक आयोजना, अ.वि.प्रा, अजमेर
7. श्री अनिल कुमार, निदेशक अभियांत्रिकी, अ.वि.प्रा, अजमेर
8. श्री एन.के.भटनागर, अधिक्षण अभियंता, अजमेर विधुत वितरण, निगम, लि. अजमेर
9. श्री सी.के.बसंल, अधिक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर
10. श्री जे.के शर्मा अधिशाषी अभियंता, जन.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर
11. श्री त्रिलोकचन्द्र कुमावत, सहायक अभिंयता, नगर परिषद, किशनगढ़
12. श्री योगेश कुमार खत्री, सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर
13. श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त, अ.वि.प्रा. अजमेर
14. श्रीमती सुनिता यादव, उपायुक्त, अ.वि.प्रा., अजमेर
15. श्री अरूण कुमार जैन, उपायुक्त अ.वि.प्रा., अजमेर

सर्वप्रथम सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण ने समस्त आगन्तुक समिति के सदस्यो का स्वागत किया बैठक में बाद विचार विर्मश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टी की गई तत्पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र. स.	एजेण्डा बिन्दु का विवरण	सबंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
1	दिनांक 28.06.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णयः– सर्वसम्मति से दिनांक 28.06.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि की गई।	सचिव किशोर कुमार (RAS) सचिव अ.वि.प्रा., अजमेर

Scanned with CamScanner

2	**प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के प्रसार–प्रचार हेतु राशि रुपये 6.00 करोड दिए जाने बाबत्।** स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक पी.आर. /डीएलबी./PSKS/Mediaplan/2021/288 दिनांक 16.08.2021 के अनुसार प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत आमजन को जानकारी प्रदान करने हेतु स्थानीय निकाय क्षेत्रो में राज्य स्तर पर विभिन्न आउटडोर मिडिया माध्यमों से विज्ञापन प्रदर्शित कराए जाने है राज्य सरकार द्वारा इस हेतु विभिन्न आउटडोर मिडिया माध्यमों पर वार्षिक राशि रुपये 90.00 करोड़ व्यय की जानी है। आदेशानुसार प्राधिकरण की हिस्सा राशि 6.00 करोड नियत की गई है। प्राधिकरण द्वारा राशि रुपये 6.00 करोड सिटी मैनेजर एसोसिएशन राजस्थान को प्रशासन शहरो के संग अभियान –2021 की आई ई.सी. एवं पी.ए. गतिविधियों को क्रियान्विति करने के लिए बैंक ऑफ बडौदा शाखा उद्योग भवन, जयपुर में खोले गए खाता संख्या 14630100012864 सिटी मैनेजर एसोसिएशन, राजस्थान IFSC Code BARB0ICICOM esa NEFT/RTGS के माध्यम से 10 दिवस में हस्तान्तरित किए जाने है। उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग से अनुमोदित है तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है। प्रकरण सेवाओ से सम्बन्धित है प्राधिकरण की SOP Part II (Goods and Service) के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार 50.00 लाख से अधिक की वस्तुओ एवं सेवाओं के उपापन के लिए स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	निदेशक वित्त (राजकिशोर मीना) निदेशक वित्त
3	**योजना मद में भुगतान एवं कर्मगारो को वेतन पर भुगतान का पुनर्विनियोजन बाबत्।** प्राधिकरण के वर्ष 2021–22 के बजट में पृष्ठ संख्या 8 क्रम संख्या 03 से योजना मद में निर्माण कार्य हेतु 1000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था परन्तु परिस्थितियों के दृष्टिगत राशि रुपये 811.00 लाख डी.डी. पुरम के E एवं F Block में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत होने से (जो पारित बजट में शामिल नही था) उक्त मद में वर्तमान में बजट राशि रुपये 83.85 लाख ही शेष रही है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 8 माह का समय शेश है। योजना मद में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्श 2021–22 में योजनाओं पर भुगतान एवं कर्मगारो के वेतन पर भुगतान हेतु लगभग राशि रुपये 1500.00 लाख की आवश्यकता रहेगी। प्राधिकरण के बजट 2021–22 के पृष्ठ 7 के अन्य टाईड शीर्शक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 3 में JNNURM सीवरेज मद में 1000.00 लाख हेतु	निदेशक वित्त (राजकिशोर मीना) निदेशक वित्त

Scanned with CamScanner

भुगतान का प्रावधान किया था परन्तु 4 माह में उक्त मद में कोई राशि व्यय नही हुई है। वित्तीय वर्श में उक्त मद में कोई बडी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित नही है इसलिए JNNURM सीवरेज हेतु आवंटित राशि में से 500.00 लाख का पुनर्नियोजन मद योजनाओ पर भुगतान एवं कर्मगारो के वेतन पर भुगतान में करने की अनुशंसा की जाती है। उक्त पुनर्विनियोजन के पश्चात् वर्श 2021–22 में बजट प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.स.	बजट मद/ उपमद	मूल बजट में प्रावधान (लाखो में)	प्रस्तावित पुनर्विनियोजन के पश्चात् प्रावधान (लाखो में)	अन्तर राशि रुपये (लाखो में)
1	योजनाओ पर भुगतान एवं कर्मगारो के वेतन पर भुगतान	1000.00	1500.00	+ 500.00
2	अन्य टाईड मद/ JNNURM सीवरेज कार्य	1000.00	500.00	- 500.00

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।

4 **वेटलेण्ड एवं JNNURM के खातो में शेश राशि स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर के खाते में स्थानांतरित करने बाबत्।** — निदेशक वित्त

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्थानीय निधियो का मेचिंग शेयर जमा नही होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड को आगामी किश्त देने में असमर्थता व्यक्त की है, इसलिए प्राधिकरण को 10 प्रतिशत अंशदान राशि रुपये 28.00 करोड दिया जाना है।

(राजकिशोर मीना)
निदेशक वित्त

प्राधिकरण को विभिन्न मदो एवं बैंक खातो से इतनी राशि उपलब्ध नही है।

केवल निम्न खातो में अंकितानुसार राशि उपलब्ध है :–

क्र.स.	मद	बैंक	उपलब्ध राशि
1.	वैटलेण्ड	बैंक ऑफ बडौदा	1945.78 लाख
2.	सीवरेज श्रछछन्त्ड	बैंक ऑफ बडौदा	625.10 लाख

अत्यावश्यक परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन की प्रव्याखा में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 179 दिनांक 15.07.2021 में वैटलेण्ड खाते राशि रुपये 15 करोड एवं JNNURM सीवरेज खाते से राशि रुपये 5 करोड कुल 20 करोड रुपये स्मार्ट सिटी लिमिटेड को दिनांक 16.07.2021 को हस्तांतरित की गई थी। अब प्राधिकरण के अन्य खातों में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने से वेटलेण्ड खाते से आहरित राशि रू. 15.00 करोड़ दिनांक 26.08.2021 को वेटलेण्ड खाते में जमा करा दिया गया है।

Scanned with CamScanner

	प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन से पूर्व प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	
5	**अविप्रा की आवासीय योजना डी.डी.पुरम(D.D. Puram) Phase-1 के E व F ब्लॉक मे विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावः—** अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की डी.डी.पुरम Phase-1के E व F ब्लॉक में विद्युतीकरण कार्य करवाया जाना है, जिसमें विद्युत भार गणना के अनुसार योजना में 33/11 KV ग्रिडसबस्टेशन का निर्माण करवाया जाना है। योजना के विद्युतीकरण कार्य हेतु PWD Electrical BSR 2013 के आधार पर राशि 811.00 लाख का तकमीना बनाया गया है। जिसमें HT/LT Line Over Head प्रस्तावित की गई है, तथा 33 KV के Feeder 132 KV सराधना G.SS से लिये जाने प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित 33 KV Main Feeder D.D. Puram योजना की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगा। उक्त प्रस्तावित विद्युतीकरण कार्य के लिये राशि 811.00 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। SOP में प्रावधानों के अनुसार 500.00 लाख से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियाँ EC में निहित है। अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुमोदन हेतु EC के समक्ष प्रस्तुत है। **निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	निदेशक अभियांत्रिकी (अनिल गुप्ता) निदेशक अभियांत्रिकी
6	**जे.एल.एन. हॉस्पीटल अजमेर में सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण कार्य।** चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 13.08.2021 के निर्देशानुसार जे.एल.एन. हॉस्पीटल अजमेर में सर्जिकल ब्लॉक के निर्माण हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है एवं अनुमति लागत 45.00 करोड़ राशि को निम्न विभागों के स्त्रोतों से पूरा किया जायेगाः— डी.एम.एफ.टी. — 20 करोड़ अजमेर स्मार्ट सिटी — 12 करोड़ अजमेर विकास प्राधिकरण — 8 करोड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग — 5 करोड़ अतः कार्यकारी समिति के समक्ष 8.00 करोड़ रू. की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति व डिपोजिट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। **निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	निदेशक अभियांत्रिकी (अनिल गुप्ता) निदेशक अभियांत्रिकी

Scanned with CamScanner

7	**जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज का कायड स्थित नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की डिपोजिट स्वीकृति एवं डी.पी.आर की दर स्वीकृति हेतु कमेटी को पॉवर डेलीगेट करने के क्रम में।** 1. JLN Medical College का नये भवन कायड ग्राम के समीप पुष्कर बायपास पर बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राशि रुपये 192.91 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है। इस कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को 4.2 प्रतिशत एजेन्सी चार्ज के अलावा DPR पर व्यय वास्तविक राशि दी जाएगी। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की SOP अनुसार 5.00 करोड से अधिक डिपोजिट कार्य की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति सक्षम है। अतः राशि रुपये 192.91 करोड़ के डिपोजिट कार्य की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। 2. उक्त कार्य के लिए DPR बनाने हेतु Consultancy कार्य करने के लिए निविदा दिनांक 17.08.2021 को जारी कर दी गई है जिसकी तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 07.09.2021 है। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की SOP के अनुसार Consultancy की निविदा दर की स्वीकृति की Power कार्यकारी समिति को निहित है। चूंकि कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित करने में लगभग 2-3 माह का समय लग जाता है जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार उक्त परियोजना को बिना देरी के शीघ्र पूर्ण किया जाना है। अतः दर स्वीकृति हेतु निम्न कमेटी बनाया जाना प्रस्तावित है :– 1. आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर। 2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर। 3. निदेशक (अभियांत्रिकी), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर। 4. निदेशक (वित्त), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर। अतः परियोजना की DPR की दर स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के नियम संख्या 7 (2) के अन्तर्गत उक्त कमेटी को पावर डेलिगेट किया जाना प्रस्तावित है। **निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर डिपोजिट के रूप में जेएलएन मेडिकल कॉलेज कायड की स्वीकृति प्रदान की गई एवं DPR दर स्वीकृति कमेटी में पांचवे सदस्य के रूप में अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को जोडते हुए उक्त कमेटी को शक्तियाँ प्रत्यायोजित प्रदान की गई।**	निदेशक अभियांत्रिकी (अनिल गुप्ता) निदेशक अभियांत्रिकी

Scanned with CamScanner

8	**जेएनएनयूआरएम की बीएसयूपी परियोजना के अन्तर्गत अजमेर की विभिन्न कच्ची बस्तियों में सीवर नेटवर्क बिछाने के कार्य का अवधि विस्तार प्रकरण।** अजमेर शहर के 48 स्लम क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्य "Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of RCC sewer system and all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, property chambers and connections to existing sewerage system with restoration of roads etc. in various Slums of Ajmer City under JnNURM-BSUP Project" संवेदक M/s Dev Engineers, Mumbai को दिया गया था, जिसकी राशि रू. 1851.23 लाख थी। कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि — 26-09-2013 कार्य प्रारम्भ करने की वास्तविक तिथि — 08-12-2013 कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि — 25-09-2014 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि — 08-04-2018 कार्य में कुल देरी — 1291 Days उक्त कार्य में कुछ क्षेत्रो की भौगोलिक स्थिति सीवर नेटवर्क बिछाने के लिये संभव नहीं थी। कुछ स्लम क्षेत्र में सीवर नेटवर्क नहीं बिछाया जा सका क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई भी सीवर नेटवर्क मौजूद नहीं था जिसमे नई बिछाई जाने वाली सीवर लाइन को जोड़ा सके। उक्त कारणो से संवेदक से विभाग द्वारा 09 स्लम क्षेत्रों में राशि रू. 497.63 लाख का ही कार्य संपादित करवाया गया। दिये गये कार्यादेश की सम्पूर्ण राशि का कार्य संपादित न करवाने के कारण संवेदक से एसओपी की बिन्दु संख्या 20 के तहत कार्य withdraw किया गया। उक्त प्रकरण में कार्य विधानसभा चुनाव की आर्दश आचार सहिता लागू होने के कारण दिनांक 08.12.2013 के पश्चात् प्रारम्भ किया गया। विभाग द्वारा संवेदक को सम्पूर्ण कार्य एक साथ न देकर समय–समय पर टुकड़ो में दिया गया क्योंकि संकरी गलियों के कारण, जनता की सुविधा एवं सुगम यातायात हेतु ठेकेदार को एक समय में एक गली लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। आरयूआईडीपी परियोजना के तहत पूर्व में बिछाई गई सीवर लाइन के यथा–निर्मित मानचित्र उपलब्ध न होने के कारण भी कार्य में देरी हुई। उक्त कारणो से उपरोक्त कार्य में की देरी संवदेक के स्तर से नहीं हुई है। अतः संवेदक को बिना मुआवजे लगाए दिनांक 08.04.2018 तक क्लॉज 02 के तहत समयावृद्वि स्वीकृत करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। निर्णयः– **उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा अंतिम समयावधि दिनांक 08.04.2018 तक बिना मुआवज़े स्वीकृत करते हुए अनुमोदन किया गया।**	निदेशक अभियांत्रिकी

Scanned with CamScanner

9 **Operation & Maintenance Of 6 No. Of Shops, Advertisement Rights And Cleaning Of Lake Development Front Area At Old Vishram Sthali, Pushkar Road, Ajmer की दर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।**

इस कार्य की Expression of Interest (EoI) जारी कर नियमानुसार पोर्टल एवं अखबार– दैनिक नवज्योति, अजमेर संस्करण व दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण में प्रकाशन किया गया।

- EoI निविदा जारी दिनांक – 04.08.2021
- EoI निविदा प्राप्त दिनांक – 17.08.2021
- तकनीकी बिड में प्राप्त निविदाताओ की संख्या – तीन
- वित्तीय बिड में योग्य निविदाताओ की संख्या – एक
- प्राप्त निविदा दर – रू 15,55,555.00 प्रतिवर्ष (प्रत्येक वर्ष राशि 5 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी।)
- संवेदक का नाम :– M/s Pahal Jan Seva Sansthan.

कार्य की मुख्य निविदा शर्ते निम्नानुसार है –

1. अनुबन्ध की अवधि 5 वर्ष प्रस्तावित की गई है, जिसको आपसी सहमति से समाप्ति उपरान्त 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकेगा।
2. इस अनुबंध मे संवेदक द्वारा लेक डवलपमेन्ट फ्रंट एरिया में स्थित 6 दुकानों में फूड कोर्ट का संचालन करना, पूरे लेक डवलपमेन्ट फ्रंट एरिया की साफ– सफाई, चौकीदारी तथा 2 शौचालयों की साफ– सफाई इत्यादि कार्य सम्पादित किया जाना है।
3. अनुबंध की अवधि में संवेदक को विज्ञापन के अधिकार भी प्राप्त है।
4. पार्क एरिया में किसी भी प्रकार की निर्माण/ बदलाव की अनुमति नहीं है।
5. दुकानों के विद्युत एवं पानी का बिल संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
6. अनुबंध की अवधि की समाप्ति पर 6 दुकानों को सही अवस्था में प्राधिकरण को सूपूर्द (Handover) किया जावेगा।
7. अन्य शर्तें EoI अनुसार रहेगी।

उक्त कार्य की प्राप्त दर के अनुसार 5 वर्ष में प्राधिकरण को लगभग 85.95 लाख रू. की आय होगी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को पार्क की सफाई व सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले गार्डों पर होने वाले व्यय की भी बचत होगी।

अतः उक्त निविदा की प्राप्त दर राशि रू. 15,55,555.00 प्रतिवर्ष (प्रत्येक वर्ष राशि 5% बढ़ाई जाएगी।) स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।

निदेशक अभियांत्रिकी

(अनिल पुष्प)
निदेशक अभियांत्रिकी

<u>बैठक अन्त में सहधन्यवाद समाप्त की गई।</u>

<u>यह बैठक कार्यवाही विवरण आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।</u>

(किशोर कुमार)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

Scanned with CamScanner

क्रमांक / अविप्रा / सचिव / 2021 / 494-518 दिनांकः– 8/9/21

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सहायक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
8. निजी सहायक, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
9. अति. जिला कलक्टर शहर, अजमेर।
10. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. मुख्य अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. अजमेर।
12. अति. मुख्य अभियन्तां, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
13. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर रीजन, अजमेर।
14. सलाहकार (एएण्डएम) राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं विनियोजन नि.लि., जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) (महाप्रबन्धक अभियांत्रिकी), राजस्थान राज्य परिवहन नि. लि., जयपुर।
16. उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
17. उपायुक्त उत्तर / दक्षिण / पुष्कर / किशनगढ़, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. निदेशक अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. अधीक्षण अभियन्ता उत्तर / दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक विधि परामर्शी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. आयुक्त, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
24. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
25. प्रभारी अधिकारी भंडार शाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Scanned with CamScanner